



Neutral Citation Number– 2026:AHC:56739

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-8429/2026

मुराद

.....आवेदक/आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी/विपक्षीगण

आवेदक/आवेदकगण के अधिवक्ता

: अनिल कुमार मिश्रा

विपक्षी/विपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्याय कक्ष संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शुक्ला (जिन्होंने आज उपस्थिति दर्ज कराई है) और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री आनंद प्रताप सिंह को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. यह तत्काल जमानत आवेदन, वाद अपराध संख्या-27/2026 (धारा 109, 191(2), 115(2), 352, 351(3), 324(4), 333 के तहत; पुलिस थाना-बैरिया, जिला-बलिया में, विचारण के लंबित रहने के दौरान, आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफ.आई.आर. में आवेदक का नाम नहीं था। बाद में, प्रथम सूचनाप्रदाता के बयान और घायल व्यक्ति के बयान में, आवेदक का नाम एक आरोपी के तौर पर सामने आया, हालाँकि आवेदक के खिलाफ कोई खास आरोप नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि घायल व्यक्ति की चोट की रिपोर्ट से पता चलता है कि शोभा देवी की चोट को छोड़कर, बाकी तीन चोटें मामूली किस्म की हैं। हालाँकि, शोभा देवी को गंभीर चोट पहुँचाने में किसी भी आरोपी व्यक्ति की, जिसमें वर्तमान आवेदक भी शामिल है, कोई खास भूमिका नहीं बताई गई है। आगे यह भी कहा गया है कि सह-आरोपी शाहजाद और आरिफ को इस अदालत की एक संयुक्त पीठ ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-8096/2026 और 8224/2026 में, दिनांक 18.03.2026 के आदेशों के तहत पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है। इसलिए, आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह दिनांक 23.01.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाप्रदाता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए; साथ ही जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को दृष्टिगत रखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** मामले में जो कि (2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038) में रिपोर्ट किया गया, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपर्युक्त अपराध में सम्मिलित आवेदक **मुराद** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

i. आवेदक, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, पूरी ईमानदारी से विचारण/जांच में सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

7. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व, संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा जामिनियों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाणों का सत्यापन किया जाएगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर-जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया गया हो कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

10. आगे यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए, जमानत आदेश प्रबंध प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह 'पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ़ बेल' मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो कि 'इन रे: सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या-4, 2021' के तहत दिनांक 31.01.2023 को तय किया गया था और (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में रिपोर्ट किया गया है, इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पटल द्वारा आवेदक को भेजे।

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

19 मार्च, 2026

एस.सी.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"